UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
55, Lodi Estate, New Delhi - 110 003

मानवाधिकार दिवस

10 दिसम्बर 2012

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून का संदेश

हर किसी को अपनी बात सुने जाने और अपने समुदाय को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भागीदारी करने का अधिकार है। यह अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेषकर इंटरनेशनल कॉन्वेन्ट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद 25 में पूरी तरह समाहित है।

पिछली शताब्दी में हमने समावेशन की राह में निर्विवाद प्रगति की है

फिर भी बहुत अधिक समूहों और व्यक्तियों को अब भी अनेकानेक बाधाएं झेलनी पड़ रही हैं। महिलाओं को हर जगह वोट देने का अधिकार है, लेकिन संसदों और शांति प्रक्रियाओं में, सरकार के वरिष्ठ पदों और कम्पनियों के प्रबंधक मंडलों में और निर्णय लेने की हैसियत वाले अन्य पदों पर उनका प्रतिनिधित्व आबादी के अनुपात में बहत कम है। मूल निवासियों को अकसर भेदभाव झेलना पड़ता है जिसके कारण वे अपने गारंटीशुदा अधिकारों का पूरा उपयोग करने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं या जो उनकी परिस्थितियों पर ध्यान नहीं देता। धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यक तथा विकलांगता के शिकार व्यक्ति अथवा भिन्न यौन प्रवृति या राजनीतिक मान्यता वाले लोगों को अकसर प्रमुख संस्थाओं और प्रक्रियाओं में हिस्सेदारी से रोका जाता है। संस्थाओं और सार्वजनिक जीवन में समाज की पूरी विविधता की झलक मिलनी चाहिए।

मोटेतौर पर, विश्व के अनेक हिस्सों में हमने लोकतांत्रिक प्रशासन में मुश्किल से हासिल सफलताओं के लिए चिंताजनक खतरे देखे हैं। कुछ देशों में सामाजिक समूह, बढ़ते दबाव और पाबंदियों का सामना करते हैं। सामाजिक संगठनों को विशेष रूप से निशाना बनाकर कानून बनाए गए हैं जिससे उनके लिए काम कर पाना लगभग असम्भव हो गया है। लोकतंत्र के समर्थकों का सामना नए टकरावावादी उपायों से हो रहा है। हम सबको इस तरह की विपथगामी प्रवृत्ति पर चिंतित होना चाहिए।

जिन समाजों का प्रदर्शन अब तक अच्छा रहा है, वहाँ भी सुधार की गुँजाइश है। कोई देश यह सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि उसके सभी निवासी, सार्वजनिक पदों पर चुने जाने सहित सार्वजनिक कार्यों में पूरी तरह हिस्सा ले सकें और सार्वजनिक सेवाओं का बराबरी के आधार पर उपभोग कर सकें। नए अधिकारों को मान्यता देना या अनुचित काननों को हटा देना हमेशा पर्याप्त सिद्ध नहीं होता। भेदभाव अकसर व्यवहार में मौजूद रहता है और ऐसी बाधाओं तथा सोच को जन्म देता है जिनसे पार पाना मुश्किल होता है।

सजग सामाजिक समूह, किसी भी देश की खुशहाली और कुशल संचालन की आवश्यक शर्तों में से एक हैं और संयुक्त राष्ट्र उन्हें दबाने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की निंदा करता है। इसीलिए इस मानवाधिकार दिवस पर संयुक्त राष्ट्र भागीदारी के अधिकार और उसे साकार करने वाले अन्स सम्बद्ध अधिकारों– अभिव्यक्ति और राय की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्वक सभा करने और संघ बनाने के अधिकारों– पर बल दे रहा है।

अंतराष्ट्रीय कानून में स्पष्ट कहा गया है: आप चाहे कोई भी हों, कहीं भी रहते हों, आपकी बात का महत्व है। आइए, इस दिवस पर हम सब अपनी बात सुने जाने के अधिकार की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं।

***

Telephones: 24623439, 46532242 Fax: 91-11-24620293, 24628508
e-mail: unicindia@unicindia.org, www.unic.org.in